तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
01-11-19	**एकल पीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** उपस्थित श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी श्री दुनी चन्द अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मण्डल की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 11–6–2003 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 86 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। नजरसानी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने नजरसानी मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 665 बाबत प्रार्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,91,188 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थीगण का वाद अभी विचाराधीन है। उस वाद के विचाराधीन रहने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन नहीं होती है बल्कि अप्रार्थीगण का वाद विचाराधीन रहते हुये उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 जिस पर उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी ने अपना आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
	15–12–99 पारित किया था,संधारण योग्य नहीं था। अप्रार्थीगण ने प्रकरण के तथ्यों को छिपाकर न्यायालय से प्रश्नगत आदेश प्राप्त कर लिया। उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रार्थी का वाद दिनाक 6–2–2001 को यद्यपि अस्वीकार अवश्य किया है किन्तु वाद को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 जाब्ता दीवानी का निर्णय करते हुये प्रार्थी का वाद विचारणीय नहीं होना मानते हुये खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन नहीं होती है। न्यायालय ने यद्यपि अपने निर्णय में श्री एम एल गूर्जर की सहमति दर्ज कर रखी है लेकिन उनको निगरानी के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं थी। अभिभाषकों की सहमति के आधार पर त्रुटिपूर्ण या विधि विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कारणों से न्यायालय के निर्णय में प्रथम दृष्ट्या त्रुटि रही है जो पुनरावलोकन योग्य है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मण्डल की एकल पीठ का निर्णय दिनांक 11–6–2003 निरस्त किया जावे एवं निगरानी पुनः नम्बर पर ली जाकर उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी का आदेश दिनांक 15–12–99 निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1985 एम पी पेज 87, ए आई आर 2006 एस सी पेज 75,ए आई आर 2005 एस सी पेज 592 की नजीरें पेश की। जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निर्णय दिनांक 11–6–2003 को विधिसम्मत बताते हुये नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि नजरसानी का दायरा सीमित होता है। नजरसानी के माध्यम से प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के कथनों की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
	पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से नहीं होती है। अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 2005(12)पेज 290 की नजीर पेश की। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मण्डल की एकल पीठ ने दिनांक 11-6-2003 को यह मानते हुये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है जिसके बाबत प्रार्थी के अभिभाषक ने भी अपनी सहमति प्रकट की है। इस आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की गई है। नजसानी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वयं प्रार्थी ने यह अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा प्रार्थी का वाद दिनांक 6-2-2001 को अस्वीकार किया है लेकिन वाद का गुणावगुण पर एडज्यूडिकेशन नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी आदेश दिनांक 15-12-99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व तरमीम को निरस्त करते हुये मौका नक्शा में बरंग हरा व लाल से प्रदर्शित अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के न्यायालय में वाद संख्या 81/2000 प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 6-2-2001 को विचारण योग्य नहीं मानते हुये खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
	अपील प्राधिकारी बाडमेर जैसलमेर मुकाम जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 28–1–2002 के द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 28–1–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 29–9–2016 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–1–2002 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वाद संख्या 144/99 की अपील के साथ इस प्रकरण में भी तनकी कायम कर विधिवत निर्णय पारित किया जावे। मण्डल की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 29–9–2016 के विरूद्ध अप्रार्थी रेखाराम वगैरा की ओर से नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 8–11–2019नियत है। इस प्रकार मूल निर्णय दिनांक 6–2–2001 के विरूद्ध मण्डल स्तर तक निर्णय पारित होने तथा नजरसानी लम्बित होने से वर्तमान नजरसानी प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। क्योंकि मण्डल के समक्ष निगरानी आदेश दिनांक 15–12–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व तरमीम को निरस्त करते हुये मौका नक्शा में बरंग हरा व लाल से प्रदर्शित अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये गये हैं। जब मूल आदेश को ही चुनौती दी जा चुकी है और जिसमें मण्डल स्तर पर मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है और उसके विरूद्ध नजरसानी मण्डल के समक्ष विचाराधीन है तो मण्डल की एकल पीठ ने यह विधिसम्मत आदेश पारित किया है कि मूल वाद का ही निर्णय हो चुका है इसलिये निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। माननीय उच्च	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
	न्यायालय द्वारा 2005 आर.बी.जे. (12) पेज 290 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "The scope of Review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 41 Rule 1 C.P.C. if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1C.P.C., it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review .jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be appeal in disguise." माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1995(एस.सी) पेज 455 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी यह स्पष्ट है कि नजरसानी की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं होना चाहिए। नजरसानी की शक्ति का उपयोग केवल मात्र उस स्थिति में ही किया जाना चाहिए जबकि आक्षेपित आदेश में अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) रह गयी हो। किन्तु नजरसानी का आधार यह नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो कि अभिलेख को देखने मात्र से नज़र आवे और जिसे समझने के लिये तर्क–वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। पुनर्विलोकन बाबत् विधि की स्थिति स्पष्ट है कि गलत निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नजरसानी/एलआर/2885/2003/बाडमेर** **बालाराम बनाम रेखाराम व शंकर लाल के कायम मुकाम**	नम्बर व तारीख
	(erroneous decision) एवं अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (error apparent from the Face of the Record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता। इसलिये नजरसानी के माध्यम से मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सतीश चन्द्र गोदारा) सदस्य	